

चमोली

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
चमोली।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड, खण्ड शासन,
वित्त अनुभाग-9
देहरादून।

संख्या- 539/पांच- 03 (2008 - 09) दिनांक: गोपेश्वर: 31 अक्टूबर, 2009

विषय:- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपदों की सम्पत्तियों के न्यूनतम मूल्यांकन हेतु द्वि-वार्षिक मूल्यांकन सूचियों (सर्किल रेट) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 659/207-9-2009/स्टाम्प दिनांक 16.09.2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में निवेदन करना है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद चमोली में स्थित सभी प्रकार की भूमि, जिसमें कृषित व अकृषित तथा शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण भूमि सम्मिलित है की परगनावार/किस्मवार अध्यावधिक मूल्यांकन दरें जनपद की वर्तमान वास्तविक मूल्य को ध्यान में रखते हुए दो वर्ष 2009-2010 एवं वर्ष 2010-2011 के लिए निर्धारित किया गया है जो शासनादेशानुसार 01 नवम्बर, 2009 से लागू होंगी तथा संलग्न सूची के अनुसार यह द्वि-वार्षिक मूल्यांकन सूची दिनांक 01-11-2009 से प्रभावी मानी जायेगी। प्रस्तुत प्रस्तावित दरों में 05 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है और प्रस्तावित दरें जनपद के लिए प्रति नाली निर्धारित की गयी है।

अतः जनपद चमोली की प्रस्तावित द्वि-वार्षिक मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।


संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

(अरुण कुमार ढौंडियाल)
जिला अधिकारी,
चमोली।

प्रतिलिपि- निम्नांकित को मय संलग्न द्वि-वार्षिक मूल्यांकन सूची (सर्किल रेट) की सूची सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त कर, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. आयुक्त, स्टाम्प, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. सचिव, कर एवं संस्थागत वित्त उत्तराखण्ड देहरादून।
5. जिला निबन्धक, चमोली।
6. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद चमोली।
7. समस्त तहसीलदार/उप निबन्धक जनपद चमोली।
8. जिला निबन्धक, जनपद पौड़ी एवं रुद्रप्रयाग।


जिला अधिकारी,
चमोली।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन के वित्त अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-659/27-9-2009/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 16 सितम्बर,2009 तथा स्टाम्प नियमावली (सम्पत्ति का मूल्यांकन-19997) में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद चमोली में स्थित सभी प्रकार की भूमि जिसमें कृषित व अकृषित तथा शहरी, अर्द्धशहरी एवं ग्रामीण भूमि सम्मिलित है की परगनावार/किस्मवार अध्यावधिक मूल्यांकन दो वर्ष (2009-10) एवं (2010-2011) के लिये निर्धारित किये जाते हैं जो शासनादेशानुसार 01 नवम्बर,2009 से लागू होंगे। अतः यह द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची दिनांक 01-11-2009 से प्रभावी मानी जायेगी।

क्र० सं०	तहसीलवार/क्षेत्र भूमि का विवरण	वर्ष 2009-10 एवं वर्ष 2010-2011 हेतु प्रस्तावित दरें प्रति नाली अर्थात (0.020 है)
1	2	3
तहसील थराली		
1.	तहसील थराली के मोटर मार्ग पर पडने वाले ग्राम केवरतल्ला, पन्ती, कुलसारी, देवराडा ,थराली, ग्वालदम, इच्छोली, सेलखोला,तलवाडी, नारायणबगड की मोटर मार्ग के दानों ओर 50-50 मीटर स्थित भूमि के लिए-	रु० 75,000.00
2.	उक्त कर्मॉक-1 के ग्रामों की मोटर मार्ग से 50-50 मीटर बाहर की भूमि के लिए-	रु० 40,000.00
	सिंचित-	रु० 30,000.00
	असिंचित-	
3.	तहसील के अन्तर्गत मोटर मार्ग पर पडने वाले अन्य ग्राम हरमनी, बीणागांव, हाट कल्याणी, चेपडों, थाला, पूर्णा, ल्वाणी, मुन्दोली, केराबगड, परखाल, मींग गधेरा, नलगांव, जौला, मालबज्वाड , भगोती की मोटर मार्ग के दोनों ओर 50-50 मीटर तक स्थित भूमि-	रु, 35,000.00
4.	तहसील के अन्तर्गत अन्य ग्रामों तथा कर्मॉक-3 पर अंकित ग्रामों के मोटर मार्ग से 50-50 मीटर बाहर की भूमि-	रु, 20,000.00
	सिंचित-	रु, 15,000.00
	असिंचित-	
तहसील कर्णप्रयाग		
1.	टाउन ऐरिया कर्णप्रयाग (अर्द्ध शहरी क्षेत्र) (अ) कर्णप्रयाग एवं भेडगाँव की सभी प्रकार की भूमि के लिए-ग्रामीण क्षेत्र-	रु, 2,62,000.00
2.	टाउन ऐरिया गोचर (अर्द्ध शहरी क्षेत्र) (अ) ग्राम पनाई तल्ली,मल्ली,रावल नगर तल्ला,रावल नगर मल्ला,भट्टनगर,धल्ली लगा भट्टनगर की सभी प्रकार की भूमि के लिए-	रु,2,51,500.00
	ग्रामीण क्षेत्र (ब) ग्राम वसन्तपुर, रणसेरा एवं शैल की भूमि के लिये-	रु, 64,000.00
	सिंचित-	रु, 47,000.00
	असिंचित-	
3.	तहसील कर्णप्रयाग में मार्ग पर पडने वाले मुख्य मार्गों के ग्रामों के लिए-	


	(अ) ग्राम कमेडा, झिरकोटी, गलनाउ, कालेश्वर, जयकण्डी, उत्तराँ, लॅंगासू, नौली तल्ली की भूमि की भूमि के लिये 50 मीटर सड़क से	रु, 1,01,000.00
	(ब)ग्राम बगोली नौली ,पीपलसैरा, टटासू उर्फ मज्याडी, उमटटा, मंगरोली, तेफना, बैडाणू, थिरपाक, सोनला, सिमली मोटर मार्ग के दोनों ओर 50-50 मीटर तक की भूमि के लिए-	रु, 87,500.00
	(स) कर्माँक-3(ब) में उल्लिखित मोटर मार्ग के दोनों ओर 50-50 मीटर बाहर की भूमि के लिए-	रु, 38,500.00
4.	तहसील कर्णप्रयाग अन्तर्गत कनखुल, नैनीसैण, बगोली-कोटी, गौचर-सिदौली, सोनला-कण्डारा- मैखुरा,सिमली-बैनीताल, सिमली-उज्जवलपुर, कर्णप्रयाग -नौटी के दोनों ओर 50-50 मीटर तक की भूमि के लिए-	रु, 38,500.00
5.	(अ) कर्माँक-3(अ) के अतिरिक्त रा0 राजमार्ग स्थान कमेडा से सोनला तक मोटर मार्ग पर पड़ने वाली 50 मीटर बाहर की भूमि के लिए	रु, 52,500.00
	(ब)तहसील कर्णप्रयाग के अन्य ग्रामों कर्माँक-4 पर अंकित मोटर मार्गों से 50 मीटर बाहर स्थित भूमि के लिये-	
	सिंचित-	रु, 16,000.00
	असिंचित-	रु, 14,000.00
तहसील जोशीमठ		
नगरपालिका क्षेत्र जोशीमठ		
1.	(अ) जोशीमठ अपर बाजार,लोअर बाजार,सिंहधार मोटर मार्ग से 50-50 मीटर दोनों ओर पड़ने वाली सभी प्रकार की भूमि-	रु, 2,00,000.00
	(ब) ग्राम जोशीमठ अपर बाजार लोअर बाजार तथा सिंहधार मोटर मार्ग से 50 मीटर बाहर पड़ने वाली भूमि के लिये-	रु, 1,75,000.00
	(स) ग्राम रविग्राम की सभी प्रकार की भूमि के लिए-	रु, 1,25,000.00
	(द) ग्राम परसारी की सभी प्रकार की भूमि के लिए-	रु, 80,000.00
	(य) ग्राम औली लगा जोशीमठ,औली लगा सलूड डुँगा,औली लगा परसारी,औली लगा रविग्राम की सभी प्रकार की भूमि के लिए-	रु, 1,75,000.00
2.	अधिसूचित क्षेत्र बदरीनाथ	
	(अ) ग्राम बदरीनाथ एवं बामणी की सभी प्रकार की भूमि के लिए-	रु, 2,00,000.00
	(ब) ग्राम माणा की सभी प्रकार की भूमि के लिए-	रु, 1,00,000.00
3.	तहसील जोशीमठ के मोटर मार्ग के समीप पड़ने वाले ग्रामों के लिए- 50 मीटर बाहर की भूमि	
	(अ) ग्राम पाखी, जलगवाड़, टंगणी तल्ला, मल्ला, नौलागवाड़, लंगसी, गुलाबकोटी, हेलंग, पैनी, सेलंग, बड़ागांव, मेरग, परसारी, पनुली, बेला, चमतोली, परूप तल्ला, मल्ला, तपोवन, रेंगी, रेंगी चक लाता, तोलमा, पगरासू, जुम्मा, जेलम, कोषा, मलारी, चाई तथा सौफ	रु 50,000.00


	सहगपुरी, कैलाशपुर, गुरगुटी, देवल चक गुरगुटी, फरकियागवाड़, बाम्पा, गमशाली, अरुडी, पटुडी, लामबगड़, हनुमानचट्टी मोटर मार्ग के 50 मीटर की दोनों ओर की भूमि के लिए	
	(ब) तहसील जोशीमठ मोटर मार्ग के समीप पड़ने वाले ग्रामों के लिए 50 मीटर बाहर की भूमि	
	ग्राम बड़ागांव, मेरग, कुण्डी खोला, ढाक, विलागड़, तपोवन, रैणी, रैणी चक सुभाई, रैणी चक लाता, तोलमा, पगरासू, जुम्मा, जेलम, कोषा, मलारी, कैलाशपुर, गुरकुटी, देवल चक फरकिया गवाड़, बाम्पा, गमशाली मोटर मार्ग से 50 मीटर बाहर की ओर की सभी भूमि के लिए	रु, 45,000.00
4.	मोटर मार्ग से बाहर के ग्रामों के लिए— यथा— क्रमांक 3 (अ) व 3(ब) पर उल्लिखित मोटर मार्ग से 50-50 मीटर बाहर की क्षेत्र के ग्रामों के लिए— सिंचित— असिंचित—	रु 20,000.00 रु 15,000.00
5.	पांडुकेश्वर (गोविन्दघाट) (अ) मोटर मार्ग से 50 मीटर अन्दर की सभी प्रकार की भूमि— (ब) मोटर मार्ग से 50 मीटर बाहर की सभी प्रकार की भूमि—	रु, 1,00,000.00 रु, 60,000.00
तहसील - पोखरी		
1.	अर्द्धविकसित शहरी क्षेत्र ग्राम अ-पोखरी ग्राम देवरवल्ला, पल्ला, देवरथान, मयाणी व व गुनियाला ब- ग्राग रोमीगवाड़	रु, 72,000.00 रु, 1,00,000.00
2.	पोखरी-कर्णप्रयाग, पोखरी-रुद्रप्रयाग, पोखरी-गोपेश्वर, पोखरी-बीणा मोटर मार्ग के मध्य में से 50 मीटर दूरी तक स्थित ग्रामों के लिये—	रु, 60,000.00
3.	पोखरी-कर्णप्रयाग, पोखरी-रुद्रप्रयाग, पोखरी-गोपेश्वर, पोखरी-बीणा मोटर मार्ग के मध्य बिन्दु से 50 मीटर दूरी से बाहर के ग्रामों के लिये— सिंचित— असिंचित—	रु, 20,000.00 रु, 15,000.00
4.	उक्त के अतिरिक्त तहसील के अन्य ग्रामों के लिये— सिंचित— असिंचित—	रु, 16,000.00 रु, 13,000.00
तहसील गैरसैण		
1.	तहसील गैरसैण क अन्तर्गत कर्णप्रयाग-रानीखेत मोटर मार्ग के दोनों ओर की 50-50 मीटर के अन्तर्गत सभी प्रकार की भूमि एवं गैड़ (गैरसैण) सलियाणा की भूमि के लिए	रु, 1,39,000.00
2.	अर्द्ध शहर के रूप में विकसित हो रहे स्थान जैसे आदिबद्री, मेहलचौरी, पाण्डुवाखाल(रंगचोडा) की समस्त भूमि के लिये—	रु, 90,000.00
3.	(क) कर्णप्रयाग-रानीखेत मोटर मार्ग पर पड़ने वाले क्रमांक-1 व 2 पर अंकित ग्रामों को छोड़कर समस्त ग्रामों के लिए मोटर मार्ग के दोनों ओर 50 मीटर की	रु, 87,500.00


	दूरी तक स्थित सभी प्रकार की भूमि के लिए (ख)मोटर मार्ग के दोनों ओर 50 मीटर से बाहर की समस्त भूमि के लिये-	रु,	68,500.00
	(ग) कर्मोक-01, 02 व 03 में अंकित ग्रामों को छोड़कर तहसील की अन्य समस्त ग्रामों की भूमि के लिए सिंचित-	रु,	24,500.00
	असिंचित-	रु,	17,000.00
तहसील चमोली			
	चमोली-गोपेश्वर शहरी क्षेत्र(नगरपालिका क्षेत्र) 1-(अ) गोपेश्वर, पपडियाणा व पाडुली (सम्पूर्ण क्षेत्र)	रु,	2,15,000.00
	(ब) कोठियालसैण, रामपुरचक पाडुली, चमनाऊ, कोठियालगांव, ग्वीलों, क्षेत्रपाल, भूमल्ला लगगा खैनुरी (सम्पूर्ण क्षेत्र)	रु,	1,20,000.00
1.	(स) ग्राम गंगोलगांव, रांगर, चन्दकोटी, गोटर मार्ग के अन्तर्गत पडने वाली भूमि	रु,	80,000.00
	(द) गोपेश्वर- मण्डल, गोपेश्वर-देवर खडोरा मार्ग के दोनों तरफ 50 मीटर अन्तर्गत पडने वाली भूमि	रु,	80,000.00
	कर्मोक-(स),(द) में उल्लिखित ग्रामों की मोटर मार्ग से 50 मीटर से बाहर स्थित भूमि सिंचित-	रु,	65,000.00
	असिंचित-	रु,	55,000.00
	ग्रामीण क्षेत्र- (अ) 1-नौरख (पीपलकोटी बाजार क्षेत्र) व अगथला मोटर मार्ग के 50 मीटर दोनों ओर	रु,	1,50,000.00
	2-नौरख (पीपलकोटी बाजार क्षेत्र) व अगथला मोटर मार्ग के 50 मीटर से 200 मीटर तक के लिए	रु,	90,000.00
	3-नौरख (पीपलकोटी बाजार क्षेत्र) व अगथला मोटर मार्ग से 200 मीटर बाहर स्थित भूमि के लिए सिंचित-	रु,	40,000.00
2	असिंचित-	रु,	30,000.00
	(ब)रौलीग्वाड, मायापुर, गडौरा,बाटुला नागबगड उर्फ फरखेत, धरगांव लगगा उस्तोली, द्योलाचक उस्तोली, कुन्तरी लगगा फाली, कुमारतोली, नन्दप्रयाग,पुरसाडी मैठाणा, रौपा(कुहेड),गोलिम(बाजपुर), बिरही मोटर मार्ग के 50 मीटर दोनों ओर	रु,	85,000.00
	(स)पोखरी-नन्दप्रयाग,नन्दप्रयाग-मासौं, नन्दप्रयाग-घाट, घाट-कुरुड, घाट-बाजबगड, बिरही-निजमूला, कोठियालसैण-सैकोट, चमोली-मठ छिनका मोटर के 50मीटर दोनों ओर	रु,	60,000.00
3.	उपरोक्त कर्मोक-2 के (ब)व (स) में उल्लिखित ग्रामों के 50 मीटर से बाहर स्थित भूमि एवं उपरोक्त के अतिरिक्त तहसील के अन्य ग्रामों की भूमि के लिए-		

सिंचित-	रु, 40,000.00
असिंचित-	रु, 25,000.00

- 1- यदि कोई भूमि दो या दो से अधिक मार्गों के मध्ये स्थित हो तो ऐसी दशा में जिस मार्ग का मूल्य अधिक होगा उसी आधार पर भूमि का मूल्यांकन किया जायेगा तथा उसी के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय होगा।
- 2- बंजर भूमि, पवन भूमि व वन पंचायत की भूमि के लिये मूल्यों का निर्धारण प्रत्येक तहसीलों में वर्णित स्थानों की असिंचित तथा जिन शहरों के ग्रामों, स्थानों पर सब प्रकार की भूमि का मूल्य एक ही दर पर निर्धारित किया जाता है, के न्यूनतम दर के अनुसार मूल्य आंका जायेगा।
- 3- उप निबन्धक लेख पत्रों का पंजीकरण करने से पूर्व पटवारी द्वारा दिये गये मौके खसरे का उद्धरण के साथ-साथ इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें कि विक्रय भूमि पर कोई भवन, वृक्ष आदि तो नहीं है इस आशय का प्रमाण पत्र/शपथ पत्र भी पक्षकारों से प्राप्त करेंगे, जिससे किस्म जमीन का निर्धारण हो।


(चन्द्र रिषि इगलाल)
प्रभारी अधिकारी,
चमोली


(वी०एस०गनराल)
अपर जिला अधिकारी
चमोली


(अरुण कुमार ढौडियाल)
जिला अधिकारी,
चमोली